

ECINET-TCS गठजोड़ पर 'वोट फॉर डेमोक्रेसी' का बयान- उठाए कुछ अहम सवाल

ECINET और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के बीच कथित गठजोड़ को लेकर सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि निजी क्षेत्र की दिग्गज टेक कंपनी TCS, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बैकएंड संचालन में क्या भूमिका निभा रही है। शुरुआत में भारत के मतदाता पंजीकरण नेटवर्क का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं ने किया था। लेकिन वर्ष 2023 से TCS कथित तौर पर ERONet 2.0 का संचालन कर रही है। यह डेटाबेस 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं के रिकॉर्ड संभालता है। इस व्यवस्था की औपचारिक घोषणा निर्वाचन आयोग ने नहीं की थी। इसके बारे में जानकारी सामने आने का दावा TCS द्वारा अपने कॉरपोरेट शेयरधारकों के समक्ष किए गए खुलासों के जरिए किया गया है।

खबर है कि TCS को 'गैर-कानूनी' तरीके से फॉर्म 6 (नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म) में बदलाव करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने 'स्पेशल इंटेसिव रिविजन' (SIR) के दौरान संसद की निगरानी या कानून मंत्रालय की स्पष्ट मंजूरी के बिना उसमें पाबंदी लगाने वाली घोषणा की शर्तें जोड़ीं, जो 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट' का उल्लंघन है।

ECINET, निर्वाचन आयोग का एक व्यापक और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे लगभग 40 पुराने वेब और मोबाइल ऐप्लिकेशन (जैसे Voter Helpline, cVIGIL, and Suvidha) को एक ही मास्टर पोर्टल में लाने के लिए लॉन्च किया गया था। TCS इस पूरे सिस्टम और इसके डेटाबेस बैकएंड को मैनेज करने वाला मुख्य टेक्नोलॉजी पार्टनर है।

TCS अभी ECI के डेटाबेस एक्सेस से जुड़े विवाद के केंद्र में है। यह बेहद चिंताजनक है। अक्टूबर/नवंबर 2025 में, हमने TCS से डेटा की शुद्धता और TCS ग्रुप द्वारा मैनेज किए जाने वाले डेटाबेस और सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे इलेक्ट्रॉनिक चुनाव मैनेजमेंट के बारे में कुछ सवाल पूछे थे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाल ही में यह बात सामने आई है कि डेटाबेस के एक्सेस के साथ छेड़छाड़ की गई है और ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) जैसे कानूनी अधिकारियों के एक्सेस अधिकारों में बदलाव चुनाव आयुक्तों की जानकारी के बिना किए गए थे।

EROs ही एकमात्र ऐसी कैटेगरी के अधिकारी हैं जिन्हें कानूनी तौर पर वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार है। उनके एक्सेस अधिकारों में नुकसानदेह बदलाव किए गए, और इसके बावजूद वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम आसानी से जोड़े और हटाए गए; यह एक गंभीर अपराध है, यानी यह देशद्रोह भी है।

एक जागरूक और तकनीकी रूप से जानकार नागरिक होने के नाते, हम बैकएंड पर बेकाबू हो रहे "सुपर यूजर" स्क्रिप्ट या गलत लोगों को "स्पेशल यूजर" कैटेगरी बनाकर दिए जाने की स्पष्ट संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

पहले मामले में, यह कहा जा सकता है कि स्क्रिप्ट डेटाबेस की विश्वसनीयता को खत्म कर देगी, जिससे असंबद्ध रिकॉर्ड (orphan records), बिना सपोर्ट वाले डेटा नोड और यहां तक कि अलग-अलग टेबल में पूरी तरह से टूटे हुए लिंक बन जाएंगे। यह भी कहा जा सकता है कि गलत डेटा लिंक उन "बाहरी डेटाबेस" के साथ बन गए होंगे जिन्हें नागरिकों ने सुरक्षित रखने के लिए सरकार को सौंपा था। दूसरे मामले में, अनधिकृत यूजर उन डेटाबेस एरिया में घुस गए होंगे जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी, और डेटा में संध लगाकर या गैर-कानूनी तरीके से डेटा

शेयर/कॉपी/एक्सपोर्ट करके लोगों की प्राइवसी और संप्रभुता को ऐसा नुकसान पहुंचाया होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर में माने जाने वाले 'जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन' (GDPR) के नियमों के अनुसार, डेटा से जुड़े अधिकार डेटा-सब्जेक्ट (जिस व्यक्ति का डेटा है) के होते हैं, न कि डेटा इकट्ठा करने या प्रोसेस करने वालों के। इसमें यह भी जरूरी है कि अगर डेटा का इस्तेमाल उस मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए किया जा रहा है जिसके लिए उसे इकट्ठा किया गया था, तो डेटा-सब्जेक्ट को इसकी जानकारी दी जाए। हमें चिंता है कि TCS टीम ने जो काम किए हैं, उनमें शायद इन सभी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

इस बयान के जरिए हम TCS से अपील करते हैं कि वे भारतीय जनता के साथ तथ्य साझा करें। यह जनता का जानने का अधिकार है और आपका उन्हें बताने का फर्ज। इसके लिए TCS को निम्नलिखित सवालों के जवाब सार्वजनिक करने चाहिए:

1. डेटाबेस (DB) मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल में कौन-सी यूजर कैटेगरी लागू की गई हैं?
2. यूजर एडमिनिस्ट्रेशन को कौन मैनेज करता है? और डेटाबेस (DB) एडमिनिस्ट्रेशन में प्रपोजर->रिव्यूअर->अप्रूवर की भूमिका कौन (कौन-से ऑफिस) निभाता है?
3. प्रिविलेज मैनेजमेंट सहित यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रपोजर->रिव्यूअर->अप्रूवर की भूमिका कौन (कौन-से ऑफिस) निभाता है?
4. बंगाल में SIR प्रक्रिया में शामिल जजों को DB का एक्सेस किस यूजर कैटेगरी के तहत दिया गया था?
5. क्या ECI में डेटाबेस (DB) एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस किसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन से सर्टिफाइड है? ECI के सभी डेटाबेस के लिए ECI का DB एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस किस वर्ल्ड स्टैंडर्ड का पालन करता है?
6. कंप्लायंस ऑडिट कब किया गया था और सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी अवधि क्या है? क्या एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस का ऑडिट किसी बाहरी थर्ड पार्टी ने किया है? यदि हां, तो क्या थर्ड-पार्टी ऑडिटर के पास किसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन से वैलिड, एक्टिव सर्टिफिकेशन था? क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस और अंतिम मूल्यांकन पर ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं?
7. क्या डेटा एक्सेस को मैनेज करने में TCS की कोई सक्रिय भूमिका है? डेटा एक्सेस किस लेवल पर कंट्रोल किया जाता है? डेटाबेस / टेबल / रो / फील्ड
8. क्या एट्रिब्यूट-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लागू किया गया है? अगर हां, तो कौन से एट्रिब्यूट कंट्रोल किए जाते हैं?
9. एक्सेस कंट्रोल टीम में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता के क्या मानदंड हैं? क्या ये मानदंड पब्लिश किए गए हैं? इन मानदंडों को किसने मंजूरी दी है?

10. एक्सेस कंट्रोल के कानूनी अनुपालन (लीगल कंप्लायंस) की जांच कैसे की जाती है? कानूनी अनुपालन का ऑडिट कौन करता है?
11. ऑडिट किस वजह से होता है? क्या यह ACL में बदलाव या किसी अन्य डेटाबेस इवेंट के कारण होता है? क्या यह समय-समय पर होता है? क्या यह रैंडम होता है? एक्सेस कंट्रोल का पिछला ऑडिट कब हुआ था?
12. सिस्टम किस डेटाबेस का इस्तेमाल करता है? क्या डेटाबेस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफाइड है? अगर हां, तो सर्टिफिकेशन कौन सा है और सर्टिफिकेट की वैधता अवधि क्या है?
13. क्या एक्सेस को किसी थर्ड-पार्टी टूल के जरिए कंट्रोल किया जाता है? अगर हां, तो वह टूल कौन सा है? क्या टूल को किसी ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन द्वारा वैलिडेट और सर्टिफाई किया गया है? अगर हां, तो सर्टिफिकेशन कौन सा है और सर्टिफिकेट की वैधता अवधि क्या है?
14. क्या DB एक्सेस टूल सीधे फायरवॉल से कनेक्ट होता है? फायरवॉल कौन सा है? क्या हार्डवेयर फायरवॉल लागू किया गया है या DB केवल सॉफ्टवेयर फायरवॉल के पीछे है या यह दोनों का कॉम्बिनेशन है? क्या आप फायरवॉल का नाम, प्रकार और सर्टिफिकेशन बता सकते हैं?
15. एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस पर चुनाव आयुक्तों की क्या निगरानी रहती है? ECI या TCS में कौन बाहरी डेटाबेस कनेक्शन की जांच करता है?
16. इन बाहरी डेटा कनेक्शन की निगरानी कैसे की जाती है? क्या आप बाहरी कनेक्शन के लिए कोई ट्रैफिक लॉग रखते हैं?

हमें बस यही उम्मीद है कि TCS इन सवालों का संतोषजनक जवाब देगा और खुलकर बात करेगा। ऐसा करके ही वे मतदाताओं के बड़े पैमाने पर नाम हटाने या उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करने में मदद करने के आरोपों से खुद को मुक्त कर पाएंगे-एक ऐसा काम जिसमें भारत के चुनावी लोकतंत्र के पूरे ढांचे को नष्ट करने की क्षमता है।

एम. जी. देवसहायम,

पूर्व IAS और संस्थापक, फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी

माधव देशपांडे,

कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ

डॉ. प्यारा लाल गर्ग,

पूर्व डीन, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, पंजाब यूनिवर्सिटी

तीस्ता सीतलवाड़,

सह-संयोजक, वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD), महाराष्ट्र